

## भारत के आर्थिक विकास पर विचार\*

डॉ. या.वे.रेण्डी

अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं पर सी.पीटर मैकोलो श्रृंखला के एक भाग के रूप में आपके साथ चर्चा करने के लिए 'काउंसिल आन फॉरेन रिलेशन्स' की ओर से आमंत्रित किए जाने पर मैं अत्यधिक सम्मानित अनुभव कर रहा हूँ। मैं यहां आपके साथ भारत के आर्थिक विकास पर विचारों का आदान-प्रदान करना चाहूँगा। इसका उद्देश्य अपने विचारों की वकालत करना या उनका विलेषण करना नहीं है, बल्कि कुछ उदाहरणों सहित उनकी खुली चर्चा करना मात्र है। अपने अनुभव और पृष्ठभूमि के कारण मेरी टिप्पणियों में भारतीय अर्थव्यवस्था के विहगावलोकन के साथ-साथ उसके व्यापक सामाजिक संदर्भ में आंतरिक अनुभवजन्य विचारों का भी मिश्रण होगा।

आज के प्रस्तुतीकरण में मैं -

- (क) भारत में संस्थागत निर्माण की प्रक्रिया की कुछ ज्ञानियां प्रस्तुत करूँगा जिन्होंने हमें ये उपलब्धियां प्राप्त करने में समर्थ बनाया है;
- (ख) हमारे हाल ही के मौद्रिक नीति संबंधी वक्तव्यों में निर्धारित किए गए चालू व्यापक आर्थिक मुद्दों का विश्लेषण करूँगा
- (ग) संतुलनों को बदलने के लिए ध्यान आकर्षित करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए दृष्टिकोण का आकलन करूँगा;
- (घ) बाह्य और वित्तीय क्षेत्रों में सुधारों के संदर्भ में संतुलन और सामरस्य की महत्ता की व्याख्या करूँगा; तथा
- (ड) वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भारत की भावी समस्याओं के लिए प्रासंगिक कारकों पर चर्चा के साथ अपनी बात समाप्त करूँगा।

### संस्थागत निर्माण

दीर्घावधि के लिए भारत की वृद्धि की भावी संभावनाओं पर जो वर्तमान आशावाद टिका है उसके लिए सुदृढ़ स्तंभ बनने वाली संस्थाएं हैं :- अद्वितीय रूप से नमनीय संघीय व्यवस्था, व्यापक वयस्क मताधिकार वाला लोकतंत्र, तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व। उनकी कुछ विस्तार से चर्चा अपेक्षित है।

आजादी के समय ये सामान्य आशंकाएं थीं कि क्या भारत एक जुट होकर रहेगा। यह सत्य है कि आजादी के समय लगभग 500 से ज्यादा देशी या राजसी रियासतें थीं जिनके सर्वोच्च सत्ता की दृष्टि से उपनिवेशवादी सरकार के साथ जटिलतापूर्ण संबंध थे। उन्हें एक संघ के संवैधानिक ढांचे

में समन्वित करना पड़ा। संविधान में संघीय ढांचे की नमनीयता ने विकसित होती हुई राजनैतिक निभाव की प्रक्रिया के माध्यम से विविध प्रवृत्तियों को अपने आप में खपा लिया। उदाहरण के लिए, वर्ष 2000 में तीन नए राज्य बनाए गए। हमारे यहां राज्यों का संघ है, परंतु कई अवसरों पर कई राज्यों को बनाया गया या उनका पुनः सृजन किया गया। जबकि कुछ मामलों में सीमाओं में भी बदलाव किया गया। भारत ने संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी है तथा कुछ निर्धारित अवधि के लिए जिसे पुनः बढ़ाया जा रहा है, वैकल्पिक भाषा के रूप में अंग्रेजी के साथ कार्य करना शुरू किया। संविधान में राजभाषा के रूप में 1950 में 14 भाषाओं को सूचीबद्ध किया जो अब बढ़ाकर 22 कर दी गई हैं। प्रत्येक करेंसी नोट पर, जो हमारे यहां प्रिंट होता है, उसका मूल्यवर्ग इन अधिकांश राष्ट्रीय भाषाओं में व्यक्त किया जाता है। संक्षेप में, भारत ने प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत करने के साथ-साथ इस छोटी अवधि में आज हम जिस रूप में विद्यमान हैं, अपने आप में एक अर्थक्षम और ऊर्जस्वित राजनैतिक पहचान के रूप स्थापित करने के लिए, काफी मेहनत की है।

अमरीका के संविधान या ब्रिटेन की गतिविधियों ने सर्वप्रथम लोकतंत्र की स्थापना की और कुछ शात्रियों के बीतने के बाद धीरे-धीरे व्यापक वयस्क मताधिकार को स्वीकार किया। भारत ने 1950 में व्यापक वयस्क मताधिकार के साथ शुरूआत की तथा समाज के सभी तबकों को पूर्णतः और शीघ्रतापूर्वक मुख्य धारा में शामिल करने के लिए जनतांत्रिक दबाव रहा है। अन्य लोकतंत्र समानता के साथ शुरू हुए तथा उन्होंने वास्तविकताओं के प्रति निभाव के रूप में आई सकारात्मक कार्रवाईयों को स्वीकार किया। भारत ने समानता के लक्ष्य के लिए संघर्ष किया, परंतु संविधान में ही सकारात्मक कार्रवाई के लिए कुछ निर्धारित समय के लिए जिसे समय-समय पर आम सहमति से बढ़ाया गया है - समर्थक प्रावधान किए हैं। इस प्रकार भारत में प्रजातंत्र की जड़े मजबूत हो गई हैं, जो स्टेफिन कोहन के शब्दों में - अनिवार्यतः राजनैतिक निभाव और प्रबंधन के लिए भारतीय जनता की प्रतिभा के कारण हुई है।

सामाजिक-राजनैतिक रूपांतरण के इस माहौल में आजादी से लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार ने आज की शक्ति में प्रमुख योगदान किया है। सामान्य-सी फीस के साथ शैक्षिक अवसरों के विस्तार ने शिक्षा में उच्च गुणवत्ता प्रदान की। जनता शिक्षा के अवसरों का लाभ उठा सकी क्योंकि इस प्रक्रिया में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाए गए, जो मुख्यतः

\* डॉ. या.वे.रेण्डी, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक का 12 मई 2006 को न्यूयार्क में काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में व्याख्यान।

कार्य-निष्पादन पर आधारित थे। इस पृष्ठभूमि में, लाखों लोग इस बात के कायल हो गए कि ऊर्ध्मुखी अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक विकास के लिए सुनिश्चित होने के लिए उन्हें शिक्षा पर कठोर परिश्रम करना होगा। व्यापक सार्वजनिक क्षेत्र ने भी यह सुनिश्चित किया कि मध्यम वर्ग भी राष्ट्रीय स्तर पर बढ़े और उसने एक ऊर्जस्वित मध्यम वर्ग की गारंटी ली। इसके फलस्वरूप कुशल कार्मिकों और पेशेवर तैयार किए तथा एक उपभोक्ता आधार और संभावित उद्यमी वर्ग तैयार किया। भारी सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र का भी सह-अस्तित्व बना रहा, हालांकि निजी क्षेत्र की वृद्धि सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा अक्सर बाधित हुई और कभी-कभी सहायक भी। अपनी ओर से निजी क्षेत्र ने सार्वजनिक क्षेत्र से प्रबंध करना, बने रहना, और लाभावित होना भी सीख लिया, साथ ही साथ इसके द्वारा बाधित होना भी। संक्षेप में यह संघातका लोक-तंत्र और मिश्रित अर्थव्यवस्था का मेल ही था जिसने पेशेवरों और उद्यमियों का एक ऊर्जस्वित मध्यम वर्ग सारे भारत में निर्मित कर दिया।

इस प्रकार एक मिश्रित लोकतंत्र बना जो वस्तुतः अनेकत्व का सम्मान करता है, फिर भी एक ऐसे आत्म-सम्मानी राष्ट्र को प्रोनेत करता है जो अपनी विविधता में एकता पर गर्व करता है। हम चाहते हैं कि आर्थिक विकास को इस व्यापक परिदृश्य में देखा जाए। प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने काउंसिल ऑन फोरन रिलेसन्स के इसी मंच पर रसेल सी लेकिंगवेल व्याख्यान के संदर्भ में 24 सितंबर 2004 के इस विचार संक्षेप में इस प्रकार रखा था -

“वास्तव में यह (प्रभावकारी प्रगति) उन संस्थाओं के निर्माण में गत 50 वर्षों से किए गए अथक प्रयासों का परिणाम है जिन्होंने लंबे समय के लिए आर्थिक विकास के लिए आधार प्रदान किया। ये प्रयास भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की दूरदृष्टि के भाग के रूप में प्रारंभ से ही शुरू हो गए थे। यह उन आर्थिक सुधारों का भी परिणाम है जिन्होंने हाल के वर्षों में हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया है।”

## चुनिंदा वर्तमान मुद्दे

हालांकि हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़े अनेक मुद्दे हैं, लेकिन जनवरी 2006 तथा अप्रैल 2006 की मौद्रिक नीति संबंधी वक्तव्य में भारतीय रिजर्व बैंक ने तीन मुद्दों को स्थिरता के साथ-साथ वृद्धि की गति को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना है - वे हैं - भौतिक बुनियादी संरचना, राजकोषीय घाटा और कृषि।

सर्वप्रथम भौतिक बुनियादी संरचना को लें, प्रमात्रा और गुणवत्ता दोनों ही दृष्टियों से भौतिक बुनियादी संरचना की खराब स्थिति सही रूप में कारोबारी वर्ग और नीतिनिर्माताओं को परेशान कर रही है। फिर भी कुछ संतोषजनक परिणाम मिलने की आशा है, बशर्ते विनियामक ढांचे में सुधार बना रहे। चालू निवेश मांग से प्रेरित हैं और इसलिए इसके लिए तैयारी अवधि के अल्प होने की संभावना है और पूरी होने पर यह तीव्र गति से

प्रतिलाभ देगी। प्रौद्योगिकीगत गतिविधियां तथा घरेलू निर्माण क्षमताओं की तेजी से वृद्धि इसके द्रुतगति से और दक्षतापूर्ण क्रियान्वयन में सहायता करेगी। घरेलू वित्तीय क्षेत्र के स्वस्थ बुनियादी तत्वों तथा विदेशी निवेशकों की बढ़ी हुई रुचि के कारण इनके वित्तपोषण में कोई गंभीर समस्या नहीं आनी चाहिए। जब मैंने बासल में इन आधारों पर अपने आशावादी दृष्टिकोण का उल्लेख किया था, तो एक टिप्पणी थी “इस अत्यंत खराब बुनियादी संरचना के साथ भारत पहले ही कई क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा कर रहा है। मुझे आश्चर्य है कि यदि बुनियादी संरचना वास्तव में सुधर गई तो क्या होगा।”

दूसरे, राजकोषीय समेकन केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर हो रहा है और अब व्यापक दिशानिर्देशों पर बेहतर सर्वसम्मति है। केंद्र सरकार का हाल ही का बजट इस समेकन को सही रस्ते पर ले आया है जिसमें राजस्व घाटे को समाप्त करते हुए राजकोषीय घाटे को 2009 तक 3 प्रतिशत तक ले आने का लक्ष्य रखा गया है। 12वें वित्त आयोग (अध्यक्ष : डॉ. सी.रंगराजन) की सिफारिशों ने इस प्रक्रिया को और गति दी है जिससे राज्यों के स्तर पर राजकोषीय समेकन को और बल मिलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक में राज्यों के वित्त पर हमारे अध्ययन उनके राजकोषीय स्वास्थ्य के संबंध में इस आशावाद के लिए आधार प्रदान करते हैं। 2003-04 से राजस्व और राजकोषीय घाटे दोनों में तीव्र सुधार हुआ है और सुधार की यह प्रक्रिया मुख्यतया राजस्व प्राप्तियों, राज्यों के अपने राजस्व तथा केंद्र से राज्यों को संसाधनों के अंतरण में आए उछाल के कारण है। यह उल्लेखनीय है कि सभी राज्यों को मिलाकर सघट की तुलना में राजस्व घाटा पिछले वर्ष के एक प्रतिशत तथा 1990-2000 के 2.7 प्रतिशत से गिरकर 0.4 प्रतिशत पर आ जाने का अनुमान है। सघट की तुलना में सकल राजकोषीय घाटे की तदनुरूपी तस्बीर यह है कि यह पिछले वर्ष के 3.7 प्रतिशत और 1990-2000 के 4.7 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष 3.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है। तथापि, पावर-सब्सीडी का मुद्दा और सेवाओं की सुपुर्दगी में गुणवत्ता को सुनिश्चित करने की, विशेषकर, शिक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में, अभी भी आवश्यकता है।

तीसरे और शायद सबसे कठिन मुद्दा है - कृषि। अधिकांश कामगार (श्रमिक) कृषि पर निर्भर है, जबकि कृषि के कारण सघट की वृद्धि जनसंख्या वृद्धि से कुछ ही ज्यादा है जबकि गैर कृषि क्षेत्र में सुदृढ़ वृद्धि दर है। इस स्थिति ने किसानों और कृषि श्रमिकों के बीच निरपेक्ष दृष्टि से तथा तुलनात्मक दृष्टि से व्यापक रूप में वंचित रह जाने की भावना को जन्म दिया है, जो समझने योग्य है। ज्यादा वैश्विक व्यापार के परिवेश में बेहतर स्थिति आने की संभावना अभी भी छलावा है, भ्रांतिकारी है, वहीं भारत में काफी व्यापक घरेलू बाजार है जो कृषि में और अधिक तीव्र वृद्धि को सुविधाजनक बना सकता है। तथापि बढ़े हुए सार्वजनिक और निजी निवेश को समर्थन प्रदान करने के लिए वैधानिक, संस्थागत तथा रुक्षान संबंधी परिवर्तनों की जरूरत होगी। रिजर्व बैंक अपनी ओर से, ग्रामीण सहकारी ऋण प्रणाली को सबल बनाने की दृष्टि से अपने प्रयासों को दुगना कर रहा है जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुदृढ़ बनाना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निवेश करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को प्रोत्साहन प्रदान करना तथा उपयुक्त कीमत पर सही समय पर

और पर्याप्त ऋण सुपुर्दगी सुनिश्चित करना शामिल है। वास्तव में, हम, गैर संस्थागत धन उधार देने की प्रक्रिया के विधानों के अध्ययन और उनके अनुपालन को और बढ़ा रहे हैं क्योंकि यह किसानों के लिए ऋण का एकमात्र सबसे बड़ा स्रोत है।

## संभावनाएं : बदलते संतुलन

भारत में प्रगति अनिवार्यतः बदलते संतुलनों की है। ये संतुलन प्रायः निरंतर बदलते रहते हैं और अक्सर अदर्शनीय रूप में, और यह मान लेना संभव है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संभावनाओं के आकलन का एक तरीका इन बदलते संतुलनों का पता लगाना है।

सर्वप्रथम, आर्थिक सुधारों पर चर्चाओं में बदलता हुआ संतुलन देखा जा सकता है। अब तक की चर्चाएं अंग्रेजी मीडिया से देशी भाषाओं में पहुंची हैं (इसमें अंग्रेजी मीडिया और देशी भाषा के मीडिया के बीच विभाजन लगभग तदनुरूपी सामाजिक-आर्थिक/शहरी - ग्रामीण विभाजन है)। यहां यह ध्यान में रखना रुचिकर होगा कि जहां 17 अंग्रेजी के अग्रणी अखबारों का संयुक्त वितरण 6.3 मिलियन का है और उनके पाठक 17.9 मिल. हैं वहां भारत में 54 अग्रणी देशी भाषाओं के अखबारों का संयुक्त वितरण 21.4 मिलियन और पाठक 197.2 मिलियन हैं। महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्रे अधिकाधिक देशी भाषाओं के अखबारों द्वारा उठाए जाते हैं और वे ही उन्हें रूपाकार देते हैं और छन्दन कर उनके माध्यम से ही अंग्रेजी मीडिया तक पहुंचते हैं। क्योंकि ये देशी भाषाएं ही हैं जो मुख्य रूप से उठते हुए मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं।

दूसरे, केंद्र और राज्य या प्रादेशिक सरकारों के बीच भी ऊर्ध्वधर संतुलनों में बदलाव हो रहे हैं। वैश्वीकरण की ओर बढ़ती प्रवृत्ति का परिणाम आर्थिक क्षेत्र में केंद्र सरकार की अनेक विवेकाधीन शक्तियां द्विपक्षीय या बहुपक्षीय अपेक्षाओं के अनुरूप बदल रही हैं, जबकि अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे कानून और व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी आदि मुख्य रूप से प्रादेशिक सरकारों के पास हैं। कुछ वर्ष पहले विश्व में बहुत से लोगों ने राज्य के 'मुख्य मंत्री' शब्द नहीं सुने होंगे, जबकि आज वे सुनते हैं, ये आर्थिक सुधारों के बढ़ते हुए विकेंट्रीकरण को दर्शाते हैं।

तीसरे, प्रदेशों के बीच परस्पर अंतः प्रादेशिक संतुलन भी बदल रहे हैं। अब राज्य निजी निवेशों के लिए भी परस्पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। जो उनकी वृद्धि के इंजन हैं - चाहे ये निवेश देशी हों या विदेशी। केंद्र से सहायता प्राप्त करने के लिए राज्यों के बीच की प्रतिस्पर्धा का आधार उनके पिछड़े पन या आवश्यकताओं से बदल कर निजी निवेश को सुविधाजनक बनानेवाली वृद्धि के लिए प्रतिस्पर्धा ने ले लिया है।

चौथे, सरकारों में भी केंद्र और प्रादेशिक दोनों स्तरों पर विनियामक एजेंसियां सरकारों की विवेकाधीन शक्तियां या राजनैतिक चक्रों (पार्टियों) की ओर संभावित रूप से ज्ञुकी अधिकार-सत्ता को कम करने में अपनी-अपनी भूमिका को बढ़ा रहे हैं।

पांचवें, सुधारों का सबसे गत्यात्मक तत्व है - उद्यमों में सरकारी और निजी स्वामित्व का मिश्रण। सार्वजनिक उद्यमों का यह पुनर्संतुलन झूठमूठ का या नाटकीय नहीं है। बल्कि निजी क्षेत्र का प्रवेश और उसकी चुनौती तथा आंशिक विनिवेश के माध्यम से सार्वजनिक उद्यमों के विशाखीकृत स्वामित्व ने इन उद्यमों के परिचालनगत परिवेश तथा आंतरिक कारोबारी संस्कृति दोनों में बदलाव ला दिए हैं। जबकि इन्होंने हाल ही तक सर्वोत्तम और प्रखरतम व्यक्तियों के समूह को अपने यहां नियुक्त किया था और बनाए रखा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भारत में ईक्विटी बाजार ने बैंकों सहित अनेक सार्वजनिक उद्यमों को बहुत बड़ा “प्रोत्साहन दिया” है।

छठे, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी अनिवार्य सेवाओं के निधियन और प्रावधान में बढ़ती हुई भारी और व्यापक विविधता को बढ़ाया जाना चाहिए। निजी स्कूलों और कालेजों, जो अक्सर अनुदानों के माध्यम से निधियां प्राप्त करते हैं, में छोटों की संख्या कई राज्यों में सरकारी स्कूल और कॉलेजों में दाखिल छात्रों से कहीं ज्यादा है। एक ओर यह सकारात्मक है, अच्छी बात है, क्योंकि अब फीस वहन की जा सकती हैं, दूसरी ओर यह चिंता का विषय है क्योंकि इसका अर्थ है कि सार्वजनिक क्षेत्र अपनी डियूटी पूरी नहीं कर रहा है। अल्पावधि की दृष्टि से देखें तो यह संसाधनों का अपव्यय है। और दीर्घावधि की दृष्टि से देखें तो यह भारत की सबसे बड़ी शक्ति भारत के लाखों लोगों की विश्वसनीय आशा की, विशेषकर, गरीब और कम सुविधा-संपन्न लोगों की आशा की जड़ें खोदने के समान हैं जो बेहतर शिक्षा के माध्यम से बेहतर भविष्य का सपना संजोये हुए हैं। प्राथमिक, माध्यमिक और कालिज के स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना - व्यापक सार्वजनिक क्षेत्र में यद्यपि सबसे कठिन, फिर भी महत्वपूर्ण चुनौती है। इस संबंध में अनेक लोगों द्वारा जैसे आजिम प्रेमजी, जो भारत में एक सोफ्टवेयर कंपनी के अध्यक्ष हैं तथा टाटा - जो भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक घराना है - कुछ प्रयास कर रहे हैं। भारत में सुविधा विहीन लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को सुनिश्चित करना एक ऐसा मुद्दा है जो विश्व भर के सभी विचारवान और वासियों द्वारा जैसे आजिम प्रेमजी के रजत गुप्ता द्वारा “पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया” में सहभागिता को जानकर प्रसन्न हूं।

सातवें, निजी क्षेत्र के अंदर भी, जिसे औद्योगिक घरानों का “व्यवसायीकरण” कहा जा सकता है, की दृष्टि से, जिसे पूर्णतः स्वीकार नहीं किया गया है, एक नाटकीय रूप से पुनर्संतुलन के प्रयास किए जा रहे हैं। सुस्थापित औद्योगिक घरानों में पुरानी प्रथा के स्थान पर उच्च शिक्षा प्राप्त और व्यावसायिक नेतृत्व वाले लोग आ रहे हैं। साथ ही साथ, औद्योगिक नेतृत्व की एक पूर्णतः नयी पीढ़ी, विशेषकर नए क्षेत्रों में

जैसे साफ्टवेयर, फार्मस्यूटिकल, बायोटेक और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्रों में उभर कर सामने आ रही है। व्यावसायिकरण के साथ-साथ भारतीय औद्योगिक घरानों के परिचालनों का वैश्वीकरण भी हो रहा है।

आठवें, कभी-कभी यह तर्क दिया जाता है कि भारी आकार के उद्योग भारत में नहीं हैं, परंतु यह आकार और विधिता का व्यापक परिदृश्य है जो गत्यात्मकता पैदा करती है तथा उद्यमी वर्ग तथा रोजगार को जन्म देता है। हाल ही में आयोजित देवास शिखर वार्ता में, एक भारतीय उद्योगपति ने हमारे व्यावसायिक परिवेश के दो पहलुओं की ओर सकेत किया। उसने कहा कि भारतीय व्यवसाय को अक्सर अव्यवस्था ज्ञेलनी पड़ती है और इसी अव्यवस्था से सुजनात्मकता निकलती है। उसने आगे बताया कि भारत में उत्पाद की प्रति यूनिट लागत हो सकता है काफी कम न हो, परंतु नवोन्मेष की प्रति यूनिट लागत अवश्य कम है।

नौवें, श्रमिकों और प्रबंध-तंत्र के बीच के संबंध को धीरे-धीरे पुनर्स्तुलित किया जा रहा है। 1991 के सुधारों के बाद से इसमें निश्चित रूप से सुधार आया है। हड़तालों तथा खोए गए कार्य दिवसों का हाल ही का आंकड़ा सभी संबंधित पक्षों की परिपक्वता और बुद्धिमानी का प्रमाण है। अक्सर श्रम बाजार को एक समस्या के रूप में बताया जाता है, परंतु अनेक वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय व्यवसाय इसे दुर्लभ्य नहीं मानते। इसके अलावा, औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत श्रम बाजार से संबंधित प्रावधानों का कार्यान्वयन अनेक प्रगतिशील राज्यों ने दृढ़हठधर्मिता की बजाय व्यावहारिक और परिणामवादी होकर किया है। तथापि सामाजिक आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त वैधानिक परिवर्तनों के साथ-साथ बेहतर श्रम नमनीयता की अनिवार्य आवश्यकता है।

दसवें, अक्सर रोजगार-विहीन वृद्धि के बारे में चिंताएं जतायी जाती हैं, परंतु वास्तव में, यह आवश्यक है कि संगठित क्षेत्र में रोजगार में भावना विहीन वृद्धि तथा असंगठित क्षेत्र में रोजगार के विस्तार और सघनता की आवश्यकता के बीच विभेद किया जाए। उदाहरणार्थ, तीस साल पहले अस्सी प्रतिशत इंजीनियर और डाक्टर संगठित क्षेत्र में गए, जबकि अब साठ से सत्तर प्रतिशत स्वनियेजित हैं। इसका तात्पर्य है कि संतुलन में “रोजगार उन्मुखता” से “कार्योन्मुखता” की ओर झुकाव आया है। इन सकारात्मक गतिविधियों के बावजूद राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है - उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए जो बाजार में आ रहे हैं - उत्पादक रोजगार का सृजन।

अंतिम, सुधार की प्रक्रिया के दौरान एक प्रारंभिक प्रवृत्ति होती है - कारोबारी होना और त्वरित परिणाम प्राप्त करना, जबकि चिररक्षायी प्रभाव के लिए नीति को बाजारोन्मुखी होने की जरूरत है। निर्णय लेने की प्रक्रिया, अक्सर भारत में दर्दभरी मानी जाती थी, अब धीरे-धीरे क्रमिक रूप से वह उत्तरोत्तर बाजारोन्मुखी हो रही है।

## बाह्य और वित्तीय क्षेत्र के सुधार : संतुलन और समरसता

बाह्य क्षेत्र में सुधारों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? व्यापार की मद में, दृष्टिकोण दिशा का सकेत करना तथा सहभागियों को नीतिगत उद्देश्यों को

कम करने वाला प्रत्याशित कार्रवाई के जोखिमों के होते हुए अपने आप को बेहतर रूप से तैयार करना। इस संदर्भ में, आर्थिक सुधारों के संदर्भ में वृद्धि के संवर्धक और दक्षता को बढ़ाने वाले कार्यों के बीच विभेद करने की जरूरत है। भारत में व्यापार-सुधारों को इस रूप में बनाया गया था कि देशी कंपनियाँ/फर्में अपना पुनर्विन्यास करें और समायोजनों की लागतों का समय के साथ-साथ फैलाव करें और इस प्रकार उन्हें क्रमिक प्रक्रिया के माध्यम से दक्षता को बढ़ाने में समर्थ बनाया जाए। दक्षता प्राप्ति की दृष्टि से वृद्धि को दीर्घावधि आधार पर प्रौन्ति किया गया और यह दक्षता प्राप्ति क्रमिकता के दृष्टिकोण द्वारा संभव बनाई गई।

पूँजी खाते की दृष्टि से भी, घरेलू और वैश्विक परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए उदारीकरण की क्रमिक गति को तेज करने की दृष्टि से उसके लक्ष्यों को निरंतर रूप से पुनः पुनः सेट किया जाता रहा है, परंतु उसकी दिशा के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है। जहां चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता है, और साथ ही प्राधिकृत आगमों और निर्गमों के लिए भी पूँजी खाते में भी पूर्ण परिवर्तनीयता है, और साथ ही प्राधिकृत आगमों और निर्गमों के लिए भी पूँजी खाते में भी पूर्ण परिवर्तनीयता है। पूँजी खाते की प्रक्रिया को प्रबंधित करने के लिए दो मार्गों का परिचालन करना शामिल है - आटोमेटिक और नॉनआटोमेटिक या स्वचालित और गैर स्वचालित मार्गों का परिचालन। जहां तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का संबंध है, अपेक्षित दिशा में निरंतर पुनर्स्तुलित करते हुए, स्वचालित मार्ग का विस्तार करते हुए तथा सर्वाधिक प्रतिबंधित लेनदेनों को गैर स्वचालित मार्ग की ओर परंतु अनुमोदन के मार्ग की ओर ले जाने और बाद में स्वचालित या अपविनियमित व्यवस्था की ओर, ले जाने के प्रयास किए जाने हैं। जहां तक इक्विटी बाजारों का संबंध है, विदेशी संस्थागत निवेशकों के माध्यम से संविभागीय आगमों के लिए पूर्ण परिवर्तनीयता है। पूँजी खाते के प्रबंधन का एक प्रमुख क्षेत्र बाह्य ऋण से संबंधित है और इस दिशा में उद्देश्य एक तरह से यह सुनिश्चित करना है कि अल्पावधिक ऋण संबंधी दायित्व को उनके अनुरूप बनाया जाए जिसे उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में संकट को बचाने के लिए गाइदोंती ग्रीनस्पैन निर्धारण के रूप में जाना जाता है। जहां तक निवासियों का संबंध है उसमें निवासी व्यक्तियों और कंपनियों तथा वित्तीय मध्यस्थकों के बीच विभेद किया गया गया है - तथा प्रत्येक श्रेणी के लिए, यथा उपयुक्त, क्रमिक उदारीकरण की प्रक्रिया, एक सामान्य दृष्टिकोण है। वर्तमान में, वस्तुतः भारतीय कंपनियों के लिए पूँजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता है, जबकि लगभग पूँजी खाते की पूर्णतर परिवर्तनीयता के संबंध में भविष्य के लिए रास्ता इस विषय पर हाल ही में नियुक्त समिति द्वारा जुलाई 2006 के अंत तक सुझाये जाने की आशा है।

इस प्रकार अपेक्षित दिशा तथा किसी प्रत्यावर्तन से बचने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संतुलन और क्रमिक रूप से पुनर्स्तुलन पर जोर विदेशी क्षेत्र के संबंध में प्रगति है तथा वित्तीय क्षेत्र में प्रगति के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है - मूल रूप से डा.सी.रंगराजन, जो मेरे पूर्ववर्ती गवर्नरों में से एक रहे हैं, की दूरदर्शी योजना का अनुसरण करते हुए अपनाया गया है। क्रमिकता के कुछ उदाहरण देना उपयुक्त होगा -

पहला, हाल ही तक रिजर्व बैंक, वास्तव में, (तथ्यतः) सरकार को जब भी आवश्यक हो, धन उपलब्ध कराने के लिए बाध्य था, चाहे वह ओवरड्राफ्ट के माध्यम से हो या सरकारी ऋण का रिजर्व बैंक के पास निजी स्थानन के माध्यम से, या प्राथमिक निर्गमों में सहभागिता के माध्यम से। इस वर्ष अप्रैल से ये समाप्त कर दिए गए हैं, परंतु स्वतः मुद्राकरण की समाप्ति के लिए औपचारिक प्रक्रिया सरकार के साथ समझौता ज्ञापन द्वारा 1977 में शुरू की गई थी। अभी हाल ही में निजी स्थानन और सहभागिता से बचा गया। इस बात से कायल होकर कि नयी प्रणाली व्यवहार में कार्य करती है, यह संभव हो पाया कि राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंध अनियमन के संगत प्रावधानों को अप्रैल 2006 से लागू किया जा सका।

एक दूसरा उदाहरण विदेशी मुद्रा विनियमों में छूट दिए जाने से संबंधित है। विदेशी मुद्रा विनियम 1973 में जब तक छूट न दी गई थी, अधिकांश विदेशी मुद्रा लेनदेनों पर प्रतिबंध था और इस प्रकार उदारीकरण की प्रारंभिक प्रक्रिया इन छूटों की सूची को बड़ी बनाने से संबंधित रही। इसकी चरम परिणिति अधिनियम के स्थान पर 2000 में विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम को लाने के रूप में हुई जिसमें उन सभी लेनदेनों की अनुमति है, जिन्हें प्रतिबंधित या विनियमित नहीं किया गया हो।

तीसरा उदाहरण बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा और उनके स्वामित्व से संबंधित है। नियंत्रित ब्याज दरों की संरचना को क्रमिक रूप से हटाकर, नए निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रवेश की अनुमति देकर तथा विदेशी बैंकों की शाखाओं का जाल फैलाकर इस प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया गया। अन्य अधिकांश देशों से भिन्न भारत में विदेशी बैंक की शाखा वह कोई भी कारोबार कर सकती है जो भारत में निगमित कोई भी बैंक कर सकता है। स्वामित्व के मुद्दे पर, जहां बैंकिंग कारोबार का 70 प्रतिशत से अधिक कारोबार 10 वर्ष पहले पूर्णतः सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा धारित था, अब जबसे अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकारी और निजी स्वामित्व का मिश्रण है, यह 10 प्रतिशत से भी कम है। वास्तव में अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विदेशी स्वामित्व घरेलू देशी स्वामित्व के लगभग बराबर है। दो सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंकों में विदेशी स्वामित्व लगभग 70 प्रतिशत तक है। अधिकांश घरेलू बैंकों के शेयर स्थानीय स्टॉक एक्सचेंजों में उद्धृत और खरीद-बेचे जाते हैं और यदि इस दृष्टिकोण का स्टॉक मार्केट कोई संकेतक है तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का भविष्य उज्ज्वल है।

बैंकिंग क्षेत्र में सुधार की इस प्रक्रिया में, गैर निष्पादक आस्तियों की पुरानी समस्या का बैंकों द्वारा स्वयं प्रबंधन किया गया - जिसमें कोई बैंकिंग का संकट नहीं हुआ और न ही उन्हें राजकोषीय रूप से सहायता दी गयी। सरकार वस्तुतः कुल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूँजी के निवेश से लाभान्वित हुई है जो रिजर्व बैंक के विवेकसम्मत विनियमों को पूरा करने के लिए किया गया। सभी रूपों में, बैंकिंग प्रणाली समग्र रूप से दक्षता और पुनरुर्जिस्वता की दृष्टि से धीरे-धीरे सुधारी है जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के तथा देशी और विदेशी सभी प्रकार के बैंक शामिल हैं, इनमें वृद्धिशील रूप में परिवर्तन आए हैं जिससे ये

बिना किसी विघ्न बाधा के अपनी प्रतिस्पर्धा दक्षता तथा स्थिरता को लाने में समर्थ हो सके।

प्रत्येक क्षेत्र के अंदर निरंतर पुनर्स्तुलन लाने की प्रक्रिया के साथ-साथ सभी क्षेत्रों के सुधारों में समरसता के निरंतर बनाए रखने का प्रयास किया गया। एक प्रकार से भारत में सुधारों के समय तथा उनके क्रम निर्धारण का प्रबंधन एक सामंजस्यपूर्ण व्यापक नीतिगत ढांचे के निर्माण के अंतर्गत निरंतर पुनर्स्तुलन बनाए रखते हुए किया गया है जो अक्सर क्रमिक रूप में और कभी-कभी नाटकीय भी रहा है। उदाहरण के लिए, मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय क्षेत्रों में सुधारों में प्रगति प्रभावशील रही है और बाह्य क्षेत्र में वास्तव में बहुत उल्लेखनीय। वित्तीय और बाह्य क्षेत्रों में सुधारों की गति को प्रभावित करते हुए राजकोषीय क्षेत्र में प्रगति इतनी तीव्र गति से नहीं हो पायी है। इसी प्रकार वास्तविक अर्थव्यवस्था में नमनीयताएं आवश्यक हैं, यदि उनसे जुड़े जोखिमों के बिना बाजारीकरण के लाभ प्राप्त करने हैं। अनेक अनमनीयताएं विशेषकर विनियामक परिवेश में, और कृषि क्षेत्र में धीरे-धीरे दूर की जा रही हैं तथा अन्य क्षेत्रों में सुधार भी उन्हीं के सुर में सुर मिलाते हुए किए जाने हैं। अंतिम, संपत्ति के अधिकारों में स्पष्टता, अनुप्रवर्तन, विवाद का निपटान आदि का तेजी के साथ और तर्कसम्मत रूप में पूर्वअनुमानित आधार पर करने का कार्य कई मोर्चों पर किया जा रहा है ताकि और आगे प्रगति की जा सके। अर्थात बैंकों द्वारा जोखिमों के मूल्य निर्धारण में उतनी ही दक्षता के साथ जितनी कि वे विकसित अर्थव्यवस्थाओं में किए जाते हैं।

वित्तीय बाजारों के विकास और विनियमन के संबंध में हमारा अनुभव विकसित अर्थव्यवस्थाओं के अनुभवों से भिन्न है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने अर्थव्यवस्थाओं के अंदर ही बाजारों, विनियमों और उनके संव्यवहारों का साथ-साथ विकास किया है और बाद के चरण में विकास की प्रक्रिया के माध्यम से वे पहले घरेलू रूप में और बाद में वैश्विक रूप में समन्वित हुए। हमारे मामले में घरेलू बाजार के सहभागी जो या तो थे ही नहीं और यदि थे भी तो अल्प विकसित, जिन्हें अपना वृष्टिकोण तेजी से बदलना पड़ा। विनियामकों को अपेक्षित दक्षताएं विकसित करनी पड़ीं तथा स्वतः विनियामक संगठनों को स्थापित और सुदृढ़ करना पड़ा। वैश्विक गतिविधियों तथा पहले से निर्धारित और वरीयता प्राप्त ढांचे के साथ वित्तीय समेकन को देखते हुए इन सभी को बहुत सीमित आजादी के साथ और बहुत कम समय में यह कार्य करना पड़ा। वित्तीय क्षेत्र में, सुधारों में हमारे देश के संदर्भ के लिए एक निरंतरता के तर्क को इस विश्लेषणात्मक ढांचे में देखा जाना चाहिए।

## भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था

घरेलू अर्थव्यवस्था से संबंधित अनेक ऐसे जटिल कारक हैं जो इस स्वरूप को प्रभावित करते हैं जिसमें भारत शामिल होगा और आगे चलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ समन्वित होगा। जहां उनके विश्लेषण का

प्रयास करना इस व्याख्यान की सीमा से बाहर है, फिर भी उनमें से कुछ कारकों पर चर्चा करने का प्रस्ताव है; जैसे दक्षता और स्थिरता के बीच परस्पर संबंध, राजनैतिक स्थिरता का महत्व, महिलाओं के सशक्तीकरण की प्रक्रिया, संचालन संबंधी मुद्रे, तथा जनसंख्या संबंधी संक्रमण।

भारत का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ सफलतापूर्वक समन्वित होने के लिए भारत की सफलता में दक्षता संबंधी मुद्रों का स्थिरता के साथ संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जहां अनेक विद्वान, विशेषकर वित्तीय क्षेत्र के, यह मानते हैं कि भारत जोखिम विमुखी है, जबकि कुछ दूसरे लोग ऐसे भी हैं जो यह मानते हैं कि जोखिम के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण ने दक्षता और स्थिरता इन दोनों ही दृष्टि से पर्याप्त लाभ प्रदान किए हैं। दो उदाहरण देना पर्याप्त होगा। व्यापक स्तर पर भारत लगभग सघउ का 30 प्रतिशत तक निवेश कर रहा है, और 7 से 8 प्रतिशत की सघउ की वृद्धि दर्ज कर रहा है जोकि एशिया की अन्य उच्च वृद्धिवाली अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में उच्च स्तर की व्यापक दक्षता को दर्शाती है। दूसरी, व्यष्टि स्तर पर, वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बढ़ने के प्रमाण हैं, विशेषकर, विनिर्माण उद्योग के क्षेत्र में, बावजूद अनेक बाधाओं के जैसे भारत में प्रति यूनिट बिजली की लागत जो एशिया के दूसरे अन्य देशों में बिजली की प्रति यूनिट लागत से दुगुनी या तीन गुनी ज्यादा है। साथ ही, बचत निवेश अनुपात चालू खाता घाटा के समान सघउ के लगभग 2 से 3 प्रतिशत है और शायद रहेगा। आगे चलकर देखा जाए तो प्रबंधन के प्रति भारत का जोखिम संवेदी दृष्टिकोण यह सुनिश्चित कर सकता है कि यह घरेलू वृद्धि और वैश्विक स्थिरता में योगदान करे।

राजनैतिक स्थिरता से संबंधित मुद्रे अर्थिक स्थिरता के मुद्रों से निकटता से जुड़े हुए हैं, और भारत में राजनैतिक स्थिरता उल्लेखनीय है। सरकार में सहयोगी सहभागियों (पार्टियों) की संख्या, प्रधान मंत्रियों की संख्या तथा वास्तव में हाल के वर्षों में संसद तथा राज्य विधानसभाओं के लिए कुछ चुनावों की शृंखला कठिन राजनैतिक चक्रों जैसी लग सकती है। फिर भी अर्थव्यवस्था में समग्र प्रगति और वस्तुतः हाल के वर्षों में सामाजिक मोर्चे, जो स्पष्टतः टेढ़ी मेढ़ी प्रक्रिया के बावजूद यह दर्शाती है कि आर्थिक नीति के चक्र भारत में राजनैतिक चक्रों के साथ चलें, यह अनिवार्य नहीं है। सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन और राजनैतिक प्रणाली की स्थिरता के बीच अभीष्टतम संतुलन बनाए रखने की आशावादिता के लिए आधार मौजूद है।

निःसंदेह आतंकवाद एक गंभीर समस्या है, परंतु यह स्थानिक समस्या है, तथा एक मुक्त (खुली) विभिन्न संस्कृतियों वाला समाज स्थिरता पर स्थायी रूप से किसी प्रतिकूल प्रभाव के विरुद्ध एक आशा प्रदान करता है। यह महत्वपूर्ण है कि भारत के प्रतिनिधिक प्रतीकों जैसे संसद, मंदिर, मस्जिद तथा भारतीय विज्ञान संस्थान पर आक्रमण होते रहे हैं और इन सभी मामलों में साक्ष्य ये बताते हैं कि ये गैर निवासियों द्वारा प्रेरित थे।

महिला सशक्तीकरण की महत्ता को पहचानना उपयोगी होगा। मैं अपने राज्य आंश्र प्रदेश से कुछ प्रासंगिक तथ्य प्रस्तुत करना चाहूँगा। मेडिकल कालिजों में एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है, परंतु अब

वहां लगभग आधी छात्र महिलाएं हैं। आंश्र प्रदेश में इस वर्ष इंजीनियरिंग कालेजों में दाखिल हुए 92,000 छात्रों में से 30,000 से ज्यादा महिलाएं हैं। इसी प्रकार राजनैतिक हल्कों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी अच्छा है। स्थानीय निकायों में ग्राम पंचायत के सदस्य से लेकर महानगर निगम के मेयरों तथा जिला परिषदों के अध्यक्ष तक लगभग 2,50,000 पदाधिकारी चुने जाते हैं और इनमें से 85,000 से अधिक महिलाएं हैं तथा महिलाओं के लिए यह आरक्षण 1987 से चालू है। ये गतिविधियां जो अन्य राज्यों में भी अलग-अलग तरह से प्रभावी हैं, भविष्य में महिलाओं के सशक्तीकरण के दृष्टिकोण के लिए एक सकारात्मक सोच प्रदान करते हैं।

भारत के भविष्य की यह खोज मेरे पूर्ववर्ती डा. विमल जालान की पुस्तक “भारत का भविष्य : राजनीति, अर्थव्यवस्था तथा संचालन” का संदर्भ दिए बिना पूरी नहीं होगी। विशेषकर, वे संसद, नौकरशाही, और न्यायपालिका की कार्यप्रणाली की गुणवत्ता को बढ़ाने से संबंधित मुद्रों को रेखांकित करते हैं। ये जटिल मुद्रे हैं, परंतु अर्थव्यवस्था में अच्छा समय बनाए रखने के लिए इन क्षेत्रों में देर- या सवेर सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

भारत वैश्विक संदर्भ में, जनसंख्या संबंधी लाभांश से भी लाभ उठाने की आशा करता है। यह मानना आवश्यक है कि कार्मिक बलों में वृद्धि, जो शक्ति का स्रोत है, भारत के उत्तरी प्रांतों में संकेत्रित होगी। यदि शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य और संचालन में सुधार होता है ताकि श्रमिक शक्ति को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके, तो जनसंख्या से लाभ प्राप्त होंगे। लगभग अन्य सभी देशों की तुलना भी भारत को एक बहुत बड़ा लाभ प्राप्त है कि भारत में जनसंख्या संबंधी संक्रमण काफी लंबे समय तक चलेगा क्योंकि विभिन्न राज्यों के बीच जनसंख्या संबंधी रूपरेखा काफी भिन्न-भिन्न है। 2016 तक तीन राज्यों - तमिलनाडु, केरल और आंश्र प्रदेश में कुल जनसंख्या में बुजुर्गों की जनसंख्या का अंश 10 प्रतिशत अधिक हो जायेगा। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश और बिहार - इस दो राज्यों में जो भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं, उनमें इनका अंश क्रमशः 6.7 प्रतिशत और 7.1 प्रतिशत पर सबसे कम होगा। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्प्रवासन (देशांतरण) के आंकड़ों पर आधारित प्रारंभिक राय यह दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे दो राज्य हैं जहां से सबसे ज्यादा लोग भारत के दूसरे राज्यों में प्रवास कर रहे हैं। इस उत्प्रवास के पीछे रोजगार प्रमुख कारण लगता है और हमारे लिए यह सकारात्मक कारक है। संक्षेप में, भारत का जनसंख्यागत चित्र कुछ रूपों में, वैश्विक चित्र की ज्ञांकी दिखा रहा है।

यह रुचिकर है कि भाषाओं, धर्मों, मान्यताओं (विचारों) तथा परंपराओं की दृष्टि से विश्व की चरम विविधताएं भारत में झलकती हैं। भारतीय समाज ने परस्पर संघर्ष करने की तुलना में समन्वय, सहयोग और सह-विकल्प के लिए भारतीय समाज और राजनीति में बहुत ज्यादा वरीयता दी है। सारांश में, यदि ऐसा कोई देश है जो सुसंचालित बहु-संस्कृतियों वाला कोई विश्व ग्राम है : तो वह भारत है।

## भारत अमरीकी संबंध

अपने समापन भाषण में भारत अमरीकी संबंधों के बारे में भी कुछ विचार करना उपयुक्त होगा। भारत का सर्वोत्तम और प्रखरतम बुद्धिवाला सबसे बड़ा घटक जो देश के बाहर रहता है, वह अमेरिका में है और उनका यह जुड़ाव सुचारू और उत्पादक देनें है। अमरीका में बाहरी छात्रों का महत्वपूर्ण स्रोत भारत है और भारतीय अमरीकी व्यक्ति अमरीका के लिए सद्भाव रखते हैं वे जहां कहीं भी हो। नेताओं, राज्य निर्माताओं में

से ये व्यक्ति न केवल अमरीका में और भारत में, बल्कि सारे विश्व में हैं। भारत की वृद्धि गाथा में भाग लेने के लिए भारत लौट रहे अनिवासी भारतीय पेशवरों में से एकल सबसे बड़ा समूह अमरीका से है। अंत में, जैसा कि राजदूत ब्लैकवेल ने 23 फरवरी 2006 को काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन्स के इसी मंच से पत्रकारों की गोलमेज सभा में कहा था - “भारतीय अमरीकी नागरिकों की तरह है। वेब पॉल के अनुसार “भारत अमरीका को विश्व में किसी अन्य देश की तुलना में अधिक सकारात्मक मानता है। यह सही है।”